

क्षेत्रीय नियोजन एवं संधारित विकास (रावला तहसील का एक भौगोलिक अध्ययन)

डॉ. राजेन्द्र कुमार मेघवंशी, आचार्य, भूगोल विभाग, एम.जे. कुम्हेरिया महाविद्यालय, रावला

शोध सारांश

सेवा केन्द्र वह केन्द्रीय स्थान होते हैं, जो आसपास के क्षेत्रों को अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं। जहाँ पर माल सेवाओं तथा सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं का विनियम होता है यह स्थानीय जनसंख्या के साथ साथ केन्द्र के चारों ओर एक लगातार क्षेत्र के रूप में फैला होता है। केन्द्रीय स्थान न केवल अपनी जनसंख्या बल्कि अपने प्रदेश के निवासियों के लिए अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं इस बस्तियों में अन्य बस्तियों की अपेक्षा कार्यों की संख्या अधिक पायी जाती है, इसलिए इन्हे इनके कार्यों के आधार पर पहचाना जा सकता है। इन कार्यों में बेसिक शिक्षा, पुस्तकालय सुविधा, चिकित्सालय सुविधा, यातायात एवं संचार, पशु चिकित्सा संबंधी सुविधाएँ, सहकारी संस्था एवं पुलिस सेवा प्रमुख हैं, एक केन्द्र यदि घटक कार्यों में से कम से कम कोई भी चार कार्य रखता है तो उसे केन्द्रीय स्थान कहा जा सकता है।

प्रस्तावना

ग्रामीण पर्यावरण से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली अधिकांश निर्धन जनसंख्या के रहन-सहन के स्तर में सामाजिक-आर्थिक सुविधाओं के माध्यम से सुधार करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया से है। इसके अन्तर्गत निर्धन जनसंख्या के सक्रिय सहयोग पर आधारित आत्मनिर्भरता जैसे उद्देश्य अभिलक्षित हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही भारत में ग्रामीणों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्रयास किये जाते रहे हैं। लगभग सभी पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धनता उन्मूलन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता, शिक्षा व साक्षरता, स्थायित्व के साथ विकास, प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति, जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण, बेरोजगारी निवारण एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति आदि क्षेत्रों पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया है। सामाजिक व सांस्कृतिक विकास से तात्पर्य "समाज में ज्ञानात्मक संसाधन को विकसित कर सांस्कृतिक विकास जैसे -स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंक, विपणन एवं संचार आदि सुविधाओं को विकसित करने से है।" इन प्रकल्पों या आधारभूत अवसररचनाओं के विकास से प्राथमिक आधारों और अन्य सामाजिक संकेतों के रूप में जीवन-स्तर की गुणवत्ता में सुधार सम्भव है। ग्रामीण परिवेश सामाजिक-आर्थिक परिवेश से प्रभावित होता है। अतः सन्तुलित पर्यावरण के निर्माण व ग्रामीणों के जीवन-स्तर में सुधार हेतु उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक परिवेश के आधुनिकीकरण की अत्यन्त आवश्यकता है। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में तीव्रता लाने हेतु सामाजिक-आर्थिक सुविधाओं को व्यवस्थित करना अनिवार्य है। अतः इसके लिए अवस्थापनात्मक तत्वों जैसे -शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन एवं संचार, जलापूर्ति, विद्युतीकरण, बैंकिंग और वाणिज्य, कृषि एवं प्रशासनिक सेवाओं की विकास प्रक्रिया को इस प्रकार क्रियान्वित करना है कि ग्रामीण परिवेश के अनुकूल विकास के साथ ही उत्पादन जन्य क्रिया-कलापों के अवसरों में आशानुकूल वृद्धि एवं गुणात्मक उन्नति द्वारा वर्तमान परिवेश में कार्यात्मक परिवर्तन सम्भव हो सके।


अध्ययन क्षेत्र -

भारत के सबसे बड़े राज्य के उत्तरी छोर पर अवस्थित गंगानगर जिले के अन्तिम छोर पर अवस्थित रावला तहसील आर्थिक व सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण तहसील है। रावला तहसील 27°11' से 29° 10' उत्तरी अक्षांश तथा 71°54' से 73°12' के पूर्वी देशान्तर के मध्य अवस्थित है। रावला तहसील के दक्षिणी पूर्वी सीमा में बीकानेर जिले की खाजुवाला व छतरगढ़ तहसील, उत्तर में घड़साना तहसील व पश्चिम में पाकिस्तान के बहावलपुर जिले की फोर्ट अब्बास तहसील से सीमांकीत हैं। तहसील का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 623.26 वर्ग किलोमीटर है, जो जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.34 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र की समुद्रतल से औसतन उंचाई 168 से 227 मीटर है। तहसील का धरातल लगभग समतल है, कुछ क्षेत्रों में बालु रेत के टीले पाए जाते हैं, अध्ययन क्षेत्र का भू-भाग मरुस्थल में स्थित होने के कारण उष्णकटीबंध मरुस्थल की जलवायु लिए है, यहां औसतन तापमान ग्रीष्मकालीन में न्यूनतम 18 डीग्री सेन्टीग्रेट व अधिकतम 48 डीग्री सेन्टीग्रेट तथा शीतकालीन न्यूनतम 2 डीग्री सेन्टीग्रेट व अधिकतम 28 डीग्री सेन्टीग्रेट रहता है, यहां सामान्य वर्षा 25 सेन्टीमीटर व वास्तविक वर्षा 40 सेन्टीमीटर के आसपास होती है, अध्ययन क्षेत्र में मृदा दोमट, रेतीली लोम, व रेतीली पाई जाती हैं। एक समय मरुस्थल यह भाग इन्दिरागांधी नहर परियोजना कि अनुपगढ़ शाखा से समुन्नत कृषि प्रदेश में परिवर्तित हो गया, जिससे क्षेत्र में विभिन्न

प्रकार की जीन्सों का उत्पादन होने लगा, अध्ययन क्षेत्र 1980 के दशकों में कृषि (कपास, गेहु व सरसों व गन्ना) के उत्पाद में प्रथम स्थान पर था, जिस कारण क्षेत्र को " हरीत पट्टी " के उपनाम से जाना जाने लगा, समय के अनुसार क्षेत्र में धीरे-धीरे नहरी पानी के अनियमित प्रवाह एवं मानसुन के अनिश्चित व अनियमितता के कारण क्षेत्र के कृषि पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके लिए वर्ष 2004 व 2006 में नहरी सिंचाई पानी के लिए रावला व घड़साना में बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ।

वर्ष 2017 में क्षेत्र को तहसील का दर्जा प्राप्त हुआ, वर्ष 2011 के अनुसार क्षेत्र अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या 85915 है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 45300 व महिला जनसंख्या 40615 हैं। अध्ययन क्षेत्र में जन घन्तव 124 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर व लिगांनुपात 896 हैं।

मानचित्र-1.1



उद्देश्य –

1. रावला तहसील में ग्राम पंचायतवार सेवा केन्द्रों के सेवा क्षेत्रों को जानना।
2. अध्ययन क्षेत्र में सेवा केन्द्रों का अध्ययन करना।
3. उन क्षेत्रों को खोजना जहाँ सेवाओं में कमी है।

विधि तंत्र –

प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयन आँकड़ों पर आधारित हैं, जिनके आँकड़े कार्यालय ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी घड़साना एवं विभिन्न प्रकार के जनगणना प्रकाशन तथा शासकीय रिकार्डों एवं अभिलेखों से प्राप्त किये गये, प्राप्त आँकड़ों से उपयुक्त विधियों से गणना की गई एवं प्राप्त परिणाम को आवश्यकतानुसार मानचित्रों, आरेखों एवं तालिकाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया।

मुख्य शब्द –

पदानुक्रम, सेवा केन्द्र, विपणन केन्द्र, चतुर्दिक, क्षेत्रीय नियोजन, संधारित विकास।

सेवा केन्द्रों का निर्धारण एवं स्थानिक वितरण प्रतिरूप –

सभी क्षेत्र छोटी बस्ती या पुरवा से लेकर कस्बा या नगरों से युक्त होते हैं और ये आपस में परस्पर विभिन्न दृष्टियों से जुड़े होते हैं। किसी विस्तृत प्रदेश के मानव समुह की आवश्यकताओं और सेवापूर्ति एक बड़े से बड़े महानगर तथा एक कस्बा या पुरवा से संबंधित होता है। प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई में कोई न कोई केन्द्र होता है जो कुछ निश्चित सेवाओं एवं सुविधाओं के कारण अपने चारों ओर फैले क्षेत्र के लिए आकर्षण का केन्द्र होता है। वास्तव में ये केन्द्र समीपवर्ती क्षेत्रों को वाणिज्यिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, चिकित्सा, बैंकिंग, इत्यादि सेवाएं प्रदान करते हैं। प्राथमिक उत्पादन जन्य पदार्थों को तैयार माल में बदलकर अन्य दूरस्थ स्थानों में भेजते हैं, तथा बदलें ने उस क्षेत्र से सेवाएं प्राप्त करते हैं, ये केन्द्र ही सेवा केन्द्र के रूप में जाने जाते हैं। प्रायः लोग सेवा केन्द्र शब्द का आशय कस्बे या नगर

से ही लगाते हैं। लेकिन सेवा केन्द्र मात्र नगरीय केन्द्र नहीं होते बल्कि ग्रामीण बस्तियां भी जो अपने आसपास के क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करती हैं, सेवा केन्द्र कहलाती हैं। वर्तमान अर्थव्यवस्था जो क्षेत्रीय या प्रादेशिक नियोजन पर आधारित है, जिसमें सेवा केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेवा केन्द्रों के पदानुक्रम के आधार पर ही बस्ती का आकार वहां उपलब्ध सेवाएं तथा प्रभाव क्षेत्र इत्यादि ज्ञात किया जा सकता है। विभिन्न योजनाओं के दौरान जब किसी क्षेत्र में नवीन सुविधाएं उपलब्ध करानी हो तो उस क्षेत्र की सेवा केन्द्रों की ओर ध्यान दिया जाता है।

सेवा केन्द्रों की कुछ परिभाषाएं –

मार्क जफरसन (1931) के अनुसार –

केन्द्रीय स्थान स्वयं ही उत्पन्न नहीं हो जाते बल्कि ग्रामीण अंचल उनका अपने अंदर आवश्यक कार्यों को संपन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। केन्द्रीय स्थान विशिष्ट कार्यात्मक संयोजक स्थानों को उत्पन्न करते हैं, जहां के विभिन्न वस्तुएं एवं सेवाएं विकसित होती हैं जिसमें उस केन्द्र के परिधि क्षेत्र के लोग लाभांविता होते हैं तथा वे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले वस्तुओं एवं सामग्रियों हेतु लाभदायक विपणन केन्द्र प्रदान करते हैं।

एस.सी.बंसल के अनुसार –

सेवा केन्द्र वह बस्तियां हैं जो छोटे गांवों से लेकर वृहद नगरो तक का आकार रखते हैं, ये अपनी सुविधाजनक स्थिति के कारण अन्य बस्तियों के लिए केन्द्रीय सेवाएं प्रदान करते हैं।

कै.बी.सुंदरम के अनुसार –

सेवा केन्द्र ग्रामीण समुदाय के आकर्षण बिन्दु होते हैं ये केन्द्र विविध प्रकार के कार्य या सेवाये इस क्षेत्र को प्रदान करते हैं। जो इससे पारस्परिक निर्भरता का संबंध रखते हैं।

एस.एन.टी.जायसवाल के अनुसार –

सेवा केन्द्र केन्द्रीय स्थानों के रूप में होते हैं। जो अपने समीपवर्ती क्षेत्र के लिए व्यापारिक व सामाजिक केन्द्र के रूप में काम करते हैं।

ओमप्रकाश सिंह के शब्दों में –

सेवा केन्द्र केन्द्रीय स्थान होते हैं। जो स्थायी मानव प्रतिष्ठानों के रूप में परिभाषित किये जा सकते हैं। जहां पर माल सेवाओं तथा सामाजिक, आर्थिक आवश्यकताओं का विनिमय होता है। यह स्थानीय जनसंख्या के साथ-साथ केन्द्र के चारों ओर एक लगातार क्षेत्र के रूप में फैला होता है। इसके अनुसार केन्द्रीय स्थान न केवल अपनी जनसंख्या बल्कि अपने प्रदेश के निवासियों के लिए अपनी सेवाये प्रदान करते हैं। इन बस्तियों में अन्य बस्तियों की अपेक्षा कार्यों की संख्या अधिक पाई जाती है। इसलिए इनको कार्यों के आधार पर पहचाना जा सकता है। इन कार्यों में बेसिक शिक्षा, पुस्तकालय सुविधा, चिकित्सालय सुविधा, यातायात, संचार, पशु चिकित्सा, सहकारी संस्था एवं पुलिस सेवा प्रमुख हैं। एक केन्द्र यदि घटक कार्यों में से कम से कम कोई भी चार कार्य रखता है, तो उसे केन्द्रीय स्थान का नाम दिया जा सकता है।

क्षेत्रीय नियोजन एवं समन्वित विकास के लिए प्रस्तावित सेवाओं को उपयुक्त स्थिति का निर्धारण एक महत्वपूर्ण पक्ष है। यहां कि सामाजिक, आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं हो सकी है कि सभी प्रकार कि एवं सभी स्तर की सेवाओं एवं सुविधाओं संकेन्द्रण क्षेत्र के लिए सभी अधिवासों में सुनिश्चित किया जा सके। इस संदर्भ में विभिन्न पदानुक्रम वर्ग के सेवा केन्द्र भिन्न-भिन्न सेवाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। इस तरह स्पष्ट है, कि सेवा केन्द्र एकीकृत क्षेत्रीय विकास में नाभिक की भूमिका प्रदान करते हैं।

केन्द्रीय स्थान सिद्धांत –

सेवा क्षेत्र की अवधारणा प्रथमतः 1826 में वानथ्यूनेन के विलभ प्रदेश की संकल्पना से मानी जाती है। बाद में यही अवैज्ञानिक संकल्पना, क्रिस्टायर, लॉश, बैरी एवं गैरीसन तथा गाल्पिन के महत्वपूर्ण कार्यों के रूप में दुनिया के सामने आई। इसके बाद इस दिशा में अनेक विद्वानों और लेखकों ने केन्द्रीय स्थानों एवं उनके सेवा क्षेत्र के लिए प्रभाव क्षेत्र अमलैण्ड, पृष्ठ प्रदेश जैसे शब्दावलियों का प्रयोग किया। वर्तमान अध्ययन में भी सेवा केन्द्र के लिए क्रिस्टालर महोदय के केन्द्र स्थल सिद्धांत को आधार मानकर किया गया है। क्रिस्टालर का केन्द्र स्थल सिद्धांत यह बतलाता है कि केन्द्रीय स्थानों का एक पदानुक्रम होता है। जर्मन अर्थशास्त्री वाल्टर क्रिस्टालर ने सर्वप्रथम 1935 तथा 1938 में अन्तर्राष्ट्रीय भूगोल कांग्रेस के अधिवेशन में केन्द्रीय स्थान सिद्धांत को एक शोधपत्र के रूप में प्रस्तुत किया था। जो पश्चिमी जर्मनी के नगरीय एवं ग्रामीण अधिवासों पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार सेवा प्रदान करने वाले प्रत्येक

अधिवासो का प्रत्येक वर्ग अपने से निम्न क्रम के स्थानों द्वारा किये गये सभी सेवाओं को प्राप्त करता है। तथा उनके साथ-साथ उन्हें सभी सेवाओं का प्रदान करता है। जिसके आधार पर उसको निम्न क्रम के स्थानों में उच्च पद प्राप्त होता है। क्रिस्टालर के अनुसार किसी प्रदेश में सेवा केन्द्रों का विकास निम्न दशाओं में ही समान दूरी पर होगा।

1. पूरा क्षेत्र समतल हो अर्थात् कोई पहाड़ी नदी पठार आदि भौगोलिक विषमताएं न हो।
2. जनसंख्या का वितरण सभी भागों में समान हो।
3. सभी दिशाओं में यातायात सुविधा एवं व्यय समान हो।
4. सभी ग्रामीण इकाईयां बराबर सेवाओं की सुविधा रखती हो।

क्रिस्टालर के पदानुक्रम इस विचारधारा को 'क' मुख्य पदानुक्रम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है।

सेवाओं एवं सेवा केन्द्रों का निर्धारण तथा पदानुक्रम –

सामान्यतः लोग सेवा केन्द्र का आषय कस्बा या नगर क्षेत्र से ही लगाते हैं किन्तु वास्तव में ग्रामीण बस्तियों में भी जो अपने चतुर्दिक क्षेत्र के सेवायें प्रदान करती है। इनकी सेवा केन्द्रों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एवं बस्तियों को उनके आकार तथा उपलब्ध सेवाओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। जिले के सेवा केन्द्रों का निर्धारण कार्य और उनके पारस्परिक संबंध तथा महत्व के आधार पर किया गया है ग्रामीण अधिवास केन्द्र अपने समीपवर्ती गांवों की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु कुछ निश्चित कार्य संपन्न करते हैं। क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्तर के कार्यों के वितरण में पर्याप्त अंतर दृष्टि गोचर होता है अतः विभिन्न कार्यों हेतु समान अंक निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

सेवा केन्द्रों बस्तियों का पदानुक्रम –

पदानुक्रम का आकार बस्तियों को उनके आकार उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों तथा उपलब्ध सेवाओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। यदि किसी क्षेत्र में कोई नई सेवा उपलब्ध करानी हो तो वह किस बस्ती में हो इसका निर्धारण पदानुक्रम के आधार पर निम्नलिखित पांच वर्गों के रूप में किया जा सकता है।

1. विकास ध्रुव
2. विकास केन्द्र
3. विकास बिन्दु
4. सेवा केन्द्र
5. केन्द्रीय गांव

शोध के चयनित अध्ययन क्षेत्र 14 पंचायतों के 190 अधिवासों को पदानुक्रम निर्धारित किया गया है, केन्द्रीयता निर्धारण के लिए कार्यात्मक सूचकांक की विधि का अपनाया गया है, इस विधि में एक बस्ती विशेष में उपलब्ध सभी सेवाओं के कार्यात्मक भार तथा तुलनात्मक भार के योग से प्राप्त मान को उस बस्ती का कार्यात्मक सूचकांक कहा जाता है।

पदानुक्रमीय वर्ग (विकास बिन्दु) –

ये ऐसे केन्द्र हैं, जो सेवा केन्द्र तथा केन्द्रीय गांवों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के उपभोक्ता होता है, तथा वहाँ द्वितीयक और तृतीयक कार्यों की प्रधानता होती है। इन केन्द्रों की जनसंख्या 10,000 से 25,000 तक मानी गयी है। अध्ययन क्षेत्र रावला जो वर्तमान में तहसील मुख्यालय हैं, यहाँ द्वितीयक कार्यों एवं मध्यम श्रेणी की सेवाओं की बहुलता है। रावला तहसील की जनसंख्या 85915 (जनगणना 2011) है। विकास बिन्दु के रूप में क्षेत्र की सेवा कर रहा है, तहसील मुख्यालय द्वारा केन्द्रीय गांवों को ही कार्य के रूप में शामिल किया गया है।

पदानुक्रमीय वर्ग (सेवा केन्द्र) –

विकास कार्यों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो अपने चतुर्दिक ग्रामीण केन्द्रों को सेवा प्रदान करने वाली इन सेवा केन्द्रों की जनसंख्या 5 हजार से 10,000 मानी गई है। अध्ययन क्षेत्र में 500 से अधिक कार्यात्मक सूचकांक वाले 35 गांवों (कस्बों) को सेवा केन्द्र माना गया है। सेवा केन्द्र अपने चतुर्दिक क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं एवं अर्न्तनिहित वस्तुगत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

पदानुक्रमीय वर्ग (केन्द्रीय गांव) –

केन्द्रीय गांवों को सबसे छोटे स्तर के केन्द्रीय स्थान के रूप में माना गया है यहाँ लगभग 6 हजार जनसंख्या पर एक केन्द्र स्थल गांव मिलता है जिले में 500 से कम कार्यात्मक सूचकांक वाले 109 केन्द्रीय गांवों को इस श्रेणी में रखा गया है।

तलिका-1.1 रावला तहसील में अधिवासों का पदानुक्रम

पदानुक्रम सूचकांक	पदानुक्रम सूचकांक	अधिवासों की संख्या
विकास ध्रुव	7.32	5
विकास केन्द्र	85.23	11
विकास बिन्दु	72.53	34
सेवा केन्द्र	170.67	71
केन्द्रीय गांव	2816	69

अधिवासों का स्थानिक वितरण एवं घनत्व –

क्षेत्रीय नियोजन के संदर्भ में खासकर उपयोगी संरचना उपलब्ध कराने में अधिवासों के वितरण का अध्ययन आवश्यक होता है। रावला तहसील के विषमता पूर्ण प्राकृतिक भू-दृश्य में मानव द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाओं की दीर्घकालीन प्रक्रिया के फलस्वरूप अधिवासों के स्थानिक वितरण प्रतिरूप में विविधता दृष्टिगोचर होती है। सामान्य रूप यह माना जाता है कि छोटे-छोटे अधिवास पास-पास स्थित होते हैं, और बड़े अधिवासों के बीच अपेक्षाकृत अधिक दूरी पाई जाती है। मैदानी भागों में जहां समतल भूमि सिंचाई एवं उपजाऊ भूमि तथा परिवहन की पर्याप्त सुविधाओं के कारण जनसंख्या तुलनात्मक रूप से अधिक एवं अधिवासों की संख्या भी अधिक पाई जाती है। इसके विपरीत ढालयुक्त तथा अनुपजाऊ मिट्टी वाले दुर्गम क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व एवं अधिवासों की संख्या भी कम पाई जाती है। चयनित अध्ययन क्षेत्र रावला तहसील में 90 प्रतिशत गांव 51 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. जनसंख्या घनत्व आकार वर्ग के अर्न्तगत है। अध्ययन क्षेत्र मरुस्थलीय होने के कारण अपेक्षाकृत छोटे आकार के गांव ज्यादा है, जबकि कुछ मैदानी भागों में जहाँ कृषिगत सुविधाओं के अतिरिक्त, आवागमन के साधन तथा व्यवसायिक दृष्टि से बाजार की सुविधा के कारण जनसंख्या का अपेक्षाकृत अधिक बसाव देखने को मिलता है।

इसमें दो राय नहीं है कि रावला तहसील में विकास की गाथा सिर्फ कृषि के विकास से एवं औद्योगिक विकास से ही लिखी जायेगी। क्षेत्र में नहरी सिंचाई से कृषि विकास में विकास हुआ है, यहाँ कि जलवायु व मिट्टी की अनुकूलता होने के कारण फसलों की विस्तृत श्रृंखला है, क्षेत्र के लोग मेहनती, नई आवश्यकता, नई सोच, एवं नये विचार व क्षेत्र में कृषि को ध्यान में रखकर अधोसंरचना के विकास की ओर अग्रसर है। यहाँ खरीफ व रबी में 89.82-99.86 प्रतिशत क्षेत्र पर खेती की जाती है, जिसमें दलहन, तिलहन, व्यवसायिक फसल व उद्यानिकी प्रमुख है। यहाँ की कृषि को तीन फसले यथा मौसमी खरीफ (मध्य-जून से मध्य नवंबर) रबी (मध्य नवंबर से मध्य मार्च) जायद (मध्य मार्च से मध्य जून) में ली जाती है। क्षेत्र का फसल प्रतिरूप बहुत सीमा तक मानसून एवं नहरी सिंचाई पानी द्वारा नियंत्रित होता है। अध्ययन क्षेत्र के फसल प्रतिरूप में 72.97 प्रतिशत अनाज, 12.88 प्रतिशत दालें, 12.05 प्रतिशत तिलहन फसले तथा साग सब्जी इत्यादि की कृषि की जा सकती है। अन्य खाद्य फसलों में उडद 6.00 प्रतिशत फसल क्षेत्र में उत्पन्न की जाती है। भौतिक परिस्थितियों के कारण खाद्यान क्षेत्र के वितरण तथा कृषि प्रद्वति के भिन्नता देखने को मिलती है। अधिक पैदावार तथा लाभ प्राप्त करने के लिए ग्वार के साथ बाजरा, मूंग, उडद, तिल, और मूंगफली जैसे दलहनी-तिलहनी फसलों की मिश्रित कृषि करने की सलाह दी जा सकती है। यहाँ के उपलब्ध जानकारियों से स्पष्ट होता है, कि इस क्षेत्र में आयोजनाओं के प्रारम्भ होने तक सिंचाई सुविधाओं के विकास पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। क्षेत्र में कुल सिंचित क्षेत्र 60.35 प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित होता है। क्षेत्र में बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों की पूर्ति का दबाव तेजी से वन संपदा पर पड़ा है। इससे वनों का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। क्योंकि वनों के विकास की दर एवं दोहन में काफी अंतर है। परिणामस्वरूप वन आधारित आवश्यकताओं की पूर्ति करना चुनौती बनती जा रही है। इसलिए यहाँ के वनों का नियोजित विकास एवं दोहन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वनों से सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति में निरंतरता बनी रहें एवं वर्तमान वन सुरक्षित रहने के साथ-साथ उत्पादनशीलता भी बनी रहें। क्षेत्र में बहुल कृषि एवं वन प्रधान क्षेत्र में एकीकृत प्रादेशिक विकास योजना हेतु कृषि के बाद उद्योग को ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए।

यहाँ लघु एवं ग्रामीण औद्योगिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। विशेषकर कच्चे माल एवं श्रम का उपयोग करके तथा रोजगार उपलब्ध कराकर समन्वित औद्योगिक विकास से

क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त किया जा सकता है। विभिन्न जनगणनाओं के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है, कि इस क्षेत्र की औद्योगिक विकास की गतिविधि आंडबर रहित सीधे-सीधे और आत्मनिर्भर ग्रामीण लोगों की बुनियादी सुविधाएं और आवश्यकताओं की पूर्ति करने तक ही सीमित रही है। अब भी ग्रामीण अंचल के गांवों के विशाल क्षेत्रों में व्यवसायिक या औद्योगिक क्रम में बहुत बड़े परिवर्तन नहीं हुए हैं, फिर भी नहरी सिंचाई से कृषि में भारी परिवर्तन आया है। लेकिन क्षेत्र को अभी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है।

यहाँ कृषि आधारित उद्योग के तीन वर्ग –

खाद्य उद्योग, वस्त्र उद्योग, अन्य उद्योग/खाद्य उद्योग में राईस मिल, तेलधानी, आटा चक्की उद्योग प्रमुख हैं। वस्त्र उद्योग के अर्न्तगत कुटीर उद्योग के रूप में हाथ करघा व्यवस्था प्रचलित है, अन्य उद्योग में बिस्कुट उद्योग आइस केण्डी इत्यादि हैं। वन आधारित उद्योगों में आरा मिल, फर्नीचर उद्योग उद्योग इत्यादि ग्रामीण एवं लघु उद्योग वृहद उद्योगों की अपेक्षा 8 गुना अधिक रोजगार उत्पन्न करते हैं। इस दिशा में कुछ प्रमुख सुझाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत वित्तीय सहायता, क्षेत्रीय नवयुवकों को उचित मार्गदर्शन सहकार समितियों के माध्यम से विपणन सुविधा कच्चे मालों की नियमित आपूर्ति क्षेत्रीय शिल्पकारों तथा कारीगरों में आत्म विश्वास की भावना पैदा करना इत्यादि। अध्ययन क्षेत्र 50 प्रतिशत से अधिक इन्दिरा गांधी नहर प्रणाली की अनुपगढ़ शाखा के अर्न्तगत आता है, जिसमें मुख्यतः 321 हैड व 365 हैड हैं।

अध्ययन क्षेत्र अनुपगढ़ शाखा नहरी पानी से सिंचित है। इसकी प्रमुख सहायक शाखा फूलसर, कोडीबन्द, के.पी.डी, डी.ओ.एल. के.एन.डी., बी.डी, एवं आर.जे.डी. है, अध्ययन क्षेत्र राज्य के उत्तर-पश्चिम में स्थित होने के कारण यहां कि जलवायु उष्णआर्द्र मानसूनी प्रकार की है, यहां राज्य के अनुरूप ही तीन ऋतु शीत (मध्य अक्टूबर से फरवरी) ग्रीष्म (मार्च से मध्य जून) और वर्षा ऋतु (मध्य जून से मध्य अक्टूबर) होती है यहां का ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 40 डिग्री सेन्टीग्रेट तथा शीत औसत तापमान 1 डिग्री सेन्टीग्रेट रहता है। क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 161.97 सेन्टीमीटर है। जिले में ग्रीष्म ऋतु के अर्न्तगत जून माह में न्यूनतम वायुदाब 985 मिलीबार तथा शीत ऋतु में दिसंबर में अधिकतम वायुदाब 990 मिलीबार होता है यहां अप्रैल व मई महीने में तीव्र लु चलती है। शीत ऋतु में यहां हवा काफी शुष्क होती है। इस क्षेत्र में रेल की कोई सुविधा नहीं है तथा सड़क परिवहन भी बहुत अच्छी दशा में नहीं है एवं सड़कों का वितरण भी सभी भागों में समान नहीं है, वर्तमान अर्थव्यवस्था जो क्षेत्रीय या प्रादेशिक नियोजन पर आधारित है जिसमें सेवा केन्द्रों कि महत्वपूर्ण भूमिका है। सेवा केन्द्रों के पदानुक्रम के आधार पर ही किसी बस्ती का आकार एवं उपलब्ध सेवाएँ तथा प्रभाव क्षेत्र इत्यादि ज्ञात किया जा सकता है विभिन्न योजनाओं के दौरान जब किसी क्षेत्र में नवीन सुविधाएं उपलब्ध करानी हो तों उस क्षेत्र कि सेवा केन्द्रों पर ध्यान दिया जाता है।

निष्कर्ष :

यहां कि सामाजिक आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं हो सकी कि सभी स्तर की सेवाओं एवं सुविधाओं संकेन्द्रण क्षेत्र के सभी अधिवासों में सुनिश्चित किया जा सके। यहां के जनजातियों के लिए वन एवं उनके प्राकृतिक उत्पादन इनके भोजन स्वास्थ्य-सुरक्षा एवं अर्थव्यवस्था की धूरी है। उद्यान कृषि यहां समन्वित ग्रामीण विकास हेतु प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूपों में महत्वपूर्ण है यह बेरोजगारी कुपोषण, अशिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि संबंधी समस्याओं का समाधान कर यहां की गरीबी में कुछ कमी किया जा रहा है। आज क्षेत्र की नहरी सिंचाई से जीवन निर्वाह कृषि व्यापारीक की और अग्रसर हुई हैं। क्षेत्र की वर्तमान कृषि दशाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ की बढ़ती जनसंख्या उत्पादन कम है। जिसका प्रमुख कारण नहरी सिंचाई प्रणाली का अनियमित प्रवाह व मानसून की अनियमितता एवं अनिश्चितता का है।

संदर्भ सूची –

1. Singh, Jagdish (1979) "Central places and spatial organization in backward economy Region": A study in integrated regional development U.B.B.P. Gorakhpur.
2. Singh, Jasbir (1976) "An Agriculture Geography of Haryana" vishal publishers, university campus, Kurukshetra, Haryana, India.
3. Singh, R.L. (1975) "Readings in rural settlements geography". National geography society in India. Varanasi.
4. Singh, S. Ghose, B. "The application of Aerial-Photo Interpretation in the geomorphological surveys of Western Rajasthan". The Deccan geog. 7 (i) 1-13

5. Singh, R.C. (1972) "Settlement geography of Indian Desert", Delhi.
6. Singh, S.B. "UBBP Research Series no 2 rural settlement geography" A case study of Sultanpur District Uttar Bharat Bhoogol Parishad, Gorakhpur.
7. Sundaram, K.V. (1971) "Regional Planning in India" in Symposium on Regional Planning (21st I.G.C.) Calcutta pp109-123
8. Christaller, W., Central Place in Southern Germany, Translated by C.W. Baskin, Prentice Hall., 1966, pp. 14-26.
9. Ruttan, V.W., Integrated Rural Development Programme, Spatial Perspective International Development Review, Vol. 4., 1975, pp. 6-16.
10. Arora, R.C., Integrated Rural Development, S.Chand & Company Ltd., New Delhi, 1976, pp. 3-4.
11. Shah, G.L., Spatial Organization of Rural Settlement in the Mountainous Parts of U.P. – A Study in Integrated Area Development Symposium on Geography & Regional Planning (Abstract), University of Gorakhpur, May 18-19, 1979, p. 9.
12. Singh, M.B., & Dube, K.K., Regional Development Planning, Tara Book Agency, Varanasi, 1999, p. 148.
13. Brush, J.E, & Racey, B.H.E., Rural Service Centres in South-Western Wisconsin & South England, The Geographical Review, Vol. 45, 1955, pp. 559-565.
14. ओझा, पुष्पेन्द्र, ग्रामीण स्वास्थ्य, कुरुक्षेत्र, मई 1999, पृ 32।
15. Kuppaswami, B., Social Development of India, p. 20.
16. माथुर, जगदीश शरन, भारतीय सड़क परिवहन व्यवस्था, योजना, अक्टूबर, 1990, पृ 28।
17. Christaller, W., Central Place in Southern Germany, Translated by Barke in Prentice Hall, Inc. Engle Wood Cliff, New Jersey, 1966.
18. Berry, B.J.L. & Garrison, W.L., The Functional Basis of the Central Place Hierarchy, Economic Geography, Vol. 34., 1958, pp. 145-154.
19. Singh, R.B. (1982) : *Integrated Surveys for Rural Development and Planning, National Geographer, Vol.17. No.1.*
20. गौरीशंकर (1989) : गाँव और नगरों के बीच विकास से बढ़ती दूरी एवं संतुलित विकास की दिशा, भूविज्ञान, अंक 4, भाग 2।
21. गुप्तडढ़ा, एच.एस. (1992) : प्रादेशिक नियोजन की अवधारणा, रीडिंग मटेरियल, रिफ्रेशर कोर्स भूगोल, डॉ. एच. एस. गौर विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)।
22. छठवीं एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना, भारत सरकार, योजना आयोग, 1985-1990।